प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायमूर्ति

विविध अपील क्रमांक 702/2000

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण/दावेदार:

1. राजमती, आयु लगभग 42 वर्ष,
2. भारत कुंवर, आयु लगभग 50 वर्ष
3. कु. रामेश्वरी, आयु लगभग 15 वर्ष, अवयस्क, द्वारा संरक्षक माता श्रीमती राजमती बाई एवं पिता बुधवार सिंह

अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 बुधवार सिंह की विधवाएं हैं ।

सभी निवासी ग्राम: रिसदा, थाना: मस्तूरी, तहसील व जिला बिलासपुर (म.प्र.)

(सभी अपीलार्थी की जाति: गोंड)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण/ अनावेदकगण:

1. अनिल कुमार, आत्मज ईशु मसीह, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी चांपा रोड, जांजगीर (म.प्र.)

2. मनीष कुमार, आत्मज बैजनाथ अग्रवाल, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी मेन रोड, नैला

3. द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंदिरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा (म.प्र.)

{मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत विविध अपील}

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री सौरभ शर्मा, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

श्री विनय हरित, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री एम.पी.एस. भाटिया, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के अधिवक्तागण।

आदेश

(दिनांक 21 फरवरी, 2008)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति** द्वारा पारित किया गया।

यह प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर (संक्षेप में "अधिकरण") द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 25/1998 में पारित निर्णय/अधिनिर्णय दिनांक 2.11.1999 द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की राशि में वृद्धि हेतु दावेदारों की अपील है।

2) दावेदारगण, जो मृतक दिलेश कुमार की दुर्भाग्यशाली माता, विमाता (सौतेली माँ) और छोटी बहन हैं, ने दिनांक 17.2.1998 को हुई मोटर दुर्घटना में उसकी मृत्यु के लिए 5,65,000/- रुपये के प्रतिकर का दावा किया, जब उस साइकिल को, जिस पर वह पीछे बैठा था, दुर्घटनाकारी वाहन ट्रक पंजीकरण संख्या **MBT**-9386 ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही तत्काल मृत्यु हो गई। दावेदारों ने आगे यह अभिवाक किया कि मृतक - दिलेश कुमार, जिसकी आयु लगभग 22 वर्ष थी, 100/- रुपये प्रतिदिन कमाता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) दुर्घटनाकारी वाहन-ट्रक के चालक ने दावे का विरोध नहीं किया और अधिकरण के समक्ष उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। ट्रक के स्वामी और बीमाकर्ता ने दावे का विरोध किया और दावेदारों को प्रतिकर देने के अपने दायित्व से इनकार किया। वाहन स्वामी ने यह अभिवाक किया कि दुर्घटना के लिए स्वयं साइकिल सवार जिम्मेदार था, जबकि बीमाकर्ता ने दलील दी कि ट्रक चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी और ट्रक का परिचालन पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा था।

4) दावेदारों ने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य हेतु आवे.सा.-1 राजमती, आवे.सा.-2 रामेश्वरी और आवे.सा.-3 जगदेव का परीक्षण कराया, जबकि, ट्रक के स्वामी और बीमाकर्ता ने खंडन में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया।

5) अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया कि दिलेश कुमार की मृत्यु दिनांक 17.2.1998 को हुई मोटर दुर्घटना में उसे आई चोटों के कारण हुई; दुर्घटना, दुर्घटनाकारी वाहन ट्रक के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति से वाहन चलाने के कारण हुई चूंकि दुर्घटना की तिथि पर ट्रक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास बीमित था, इसलिए बीमा कंपनी दावेदारों को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) चूंकि मृतक की आय के बारे में दावेदारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अधिकरण द्वारा विश्वसनीय नहीं पाए गए, इसलिए अधिकरण द्वारा मृतक की आय मोटर यान अधिनियम की धारा 163-क के तहत दूसरी अनुसूची में विहित काल्पनिक आय के आधार पर 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के रूप में 15,000/- रुपये का 1/3 भाग घटाकर, दावेदारों की आश्रितता 10,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकी गई। 10,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 12 के गुणक से गुणा करके, प्रतिकर की गणना 1,20,000/- रुपये की गई। अन्य अनुमेय शीर्षों के तहत 10,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि

प्रदान करते हुए, अधिकरण ने दिनांक 17.2.1998 को हुई मोटर दुर्घटना में दिलेश कुमार की मृत्यु के लिए दावेदारों को प्रतिकर के रूप में कुल 1,30,000/- रुपये की राशि प्रदान की। अधिकरण ने आगे दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान तक प्रतिकर की उपरोक्त 1,30,000/- रुपये की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का निर्देश दिया।

7) अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ शर्मा ने तर्क दिया कि अधिकरण ने मृतक की आय के संबंध में दावेदारों के साक्ष्य को स्वीकार न करने और उसकी आय केवल 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित करने में; 12 के निम्नतर गुणक का चयन करने में; और केवल 1,30,000/- रुपये का कम प्रतिकर प्रदान करने में त्रुटि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8) इसके विपरीत प्रत्यर्थी क्रमांक 3 - यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय हरित ने अधिनिर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया 1,30,000/- रुपये का प्रतिकर वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित प्रतिकर है।

9) अधिकरण द्वारा अभिलिखित यह निष्कर्ष कि मृतक दिलेश कुमार की मृत्यु दिनांक 17.02.98 को हुई मोटर दुर्घटना में उसे आई चोटों के कारण हुई; दुर्घटना, दुर्घटनाकारी वाहन ट्रक के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति

से वाहन चलाने के कारण हुई; और ट्रक की बीमा कंपनी दावेदारों को प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी थी, अब अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं क्योंकि प्रत्यर्थीगण ने अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है। वास्तव में, ये निष्कर्ष इस अपील में हमारे समक्ष चुनौती के अधीन नहीं हैं। इसके अलावा, उपरोक्त तथ्यों को किसी भी संदेह के घेरे से परे स्थापित करने के लिए अभिलेख पर आवे.सा.-1 राजमती, आवे.सा.-2 रामेश्वरी और आवे.सा.-3 जगदेव के प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः, हम उस संबंध में अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में महत्वपूर्ण यह है कि न्यायालयों/अधिकरण द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिकर प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायोचित और युक्तियुक्त प्रतिकर होना चाहिए। प्रदान किया जाने वाला प्रतिकर न तो अल्प राशि होनी चाहिए, न ही अप्रत्याशित लाभ । अब, हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि क्या अधिकरण द्वारा प्रदान किया गया 1,30,000/- रुपये का प्रतिकर वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायोचित और उचित प्रतिकर है।

11) दावेदारों ने अभिवाक किया कि मृतक दिलेश कुमार की आयु लगभग 22 वर्ष थी और वह 100/- रुपये प्रतिदिन कमाता था। मृतक की आय के बारे में दावेदारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य निर्णायक प्रकृति के नहीं थे। अतः, हमें मृतक की

आय के संबंध में दावेदारों के साक्ष्य को खारिज करने में अधिकरण के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं मिली। बहरहाल, वर्ष 1994 में मोटर यान अधिनियम की धारा 163-क के तहत दूसरी अनुसूची में 15,000/- रुपये की काल्पनिक आय निर्धारित की गई थी और जिस दुर्घटना में मृतक दिलेश कुमार की जान चली गई वह वर्ष 1998 में हुई थी।

12) यदि वर्ष 1994 और 1998 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में दूसरी अनुसूची में विहित 15,000/- रुपये की काल्पनिक आय वर्ष 1998 में 18,000/- रुपये हो जाएगी। अतः, हम मृतक की आय 18,000/- रुपये प्रति वर्ष मानते हुए प्रतिकर की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13) चूंकि मृतक के परिवार में चार सदस्य थे, इसलिए हम मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए प्रति वर्ष केवल 3,000/- रुपये की कटौती करना उचित समझते हैं। प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि + प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज हेतु 10,000/- रुपये) संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष।

18) वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur